

MR. SPEAKER: That is a different thing.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But in the same statement he said it, I want to know whether he is going to take any stringent action in that regard.

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

13.04 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED BAN ON EXPORT OF ONIONS.

श्री धर्म सिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं लोक सभा के नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

प्याज (ओनियन) की परदेशों में निर्यात पर पाबन्दी लगाने से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में और इन में विशेष कर उपलेटा, भायावदर, जामजोधपुर, धोराजी, जामकण्डोरणा, कुत्तियाणा, राणाबाव, आंगरोल, पोरबन्दर, माणावदर, बंभली, सालपुर वगैरह तालुकाओं में प्याज की बड़ी फसल हुई है। ये प्याज पैदा करने वाले किसान को 20 किलोग्राम प्याज पर करीब 4 रुपये की लागत तो-खर्च होती है।

अब प्याज बड़े पैमाने पर बाजार में आ रही है। अब प्याज इतनी और तीन रुपये के भाव से प्रति 20 किलोग्राम बिक रही है और प्रति दिन भाव कम हो रहे हैं, इससे प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस का मूल कारण यह कि भारत सरकार ने प्याज की प्रदेशों में

निर्यात के लिये पाबन्दी लगाई हुई है। इस वर्ष सिर्फ 10 हजार टन प्याज की निर्यात मंजूरी दी गई है, यह बहुत कम है, इसलिये प्याज उत्पादन करने वाले किसानों की ओर से और मेरी ओर से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि प्याज की बड़े पैमाने पर परदेशों में निर्यात करने की मंजूरी तुरन्त दे कर प्याज पैदा करने वाले गुजरात, सौराष्ट्र और सारे देश के किसानों की रक्षा करे।

प्याज एक नाजुक, कोमल सब्जी है। इस का स्टॉक बहुत दिनों तक किसान नहीं रख सकते हैं। विदेशों में भारत की ओर विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश की प्याज की बहुत मांग है। इसलिये इस संक्षिप्त वक्तव्य के अन्त में मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे विदेशों में प्याज निर्यात करने के लिये तुरन्त स्वीकृति दे :

(ii) SERVICE CONDITIONS OF ASSISTANT ENGINEERS ON DEPUTATION FROM C.P.W.D. TO P. & T. DEPARTMENT

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं भारत सरकार और सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रखने जा रहा हूँ। 1963 में सी. पी. डब्ल्यू. डी. के बहुत से एस्टिमेट इंजीनियर्स को पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट में डेप्युटेशन पर भेजा गया था। उन्हें वहाँ पर गये हुए 15 साल के लगभग हो रहे हैं इस बीच मैं न उन्हें कोई प्रमोशन दिया गया है और न ही कोई डेप्युटेशन एलाउन्स दिया गया। इससे भी ज्यादा हालत तब खराब हुई—जब 1963 के बाद जिन लोगों को वहाँ भेजा गया, उन को डेप्युटेशन एलाउन्स भी मिला और प्रमोशन भी मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का भाव्य अक्षर में सटका हुआ है। 1963 से लोग बिना किसी प्रमोशन और बिना किसी एलाउन्स के वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज जब हम आम तौर पर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमारे आफिसर्स काम